

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 264 / 14
 संस्थापन दिनांक:-05 / 05 / 14
 फाईलिंग नं. 233504000792014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. गोसाई पिता केशो गोंड, उम्र 30 वर्ष,
2. झमोती पति केशो गोंड, उम्र 60 वर्ष
 दोनों निवासी पाटाखेड़ा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.04.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 325/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.04.2014 को समय दोपहर 12:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम पाटाखेड़ा थाना आमला लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी चेपा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी चेपा को रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की एवं उसे संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने अपने खेत के बेहड़ा के पेड़ को रामचरण को बेचा था। दिनांक 04.04.2014 को रामचरण ने बेहड़ा का पेड़ काटा था जिसकी एक डाल अभियुक्त गोसाई के खेत में चली गयी थी जिस बात को लेकर गोसाई की मां झमोती ने कहा कि अपने खेत में झाड़ गिरा दिया मारा इसको। तभी अभियुक्त गोसाई उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया और हाथ में रॉड लेकर आया और उसे रॉड से मारा जो उसे दांहिने हाथ की कलाई एवं कोहनी के बीच में लगकर खून निकला। अभियुक्त ने उसे दोबारा पीट एवं कमर पर मारा। अभियुक्त ने उसे धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल चौकी बैतूल में अभियुक्तगण

के विरुद्ध अपराध क्र. 047/14 पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया जहां अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध क्र. 269/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त गोसाई से एक लोहे की रॉड जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी चेपा को रॉड से मारपीट कर उसे घोर उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

6 चेपा देशमुख (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त गोसाईं ने अचानक से पीछे से रॉड मारा जो उसकी पीठ पर लगी। इसके बाद अभियुक्त रॉड से उसके सिर पर मारने लगा तो उसने सीधा हाथ सामने कर लिया तो रॉड उसके हाथ में लग गयी और उसकी हड्डी टूट गयी। सुभाष (अ.सा.-3) एवं उज्जैनसिंह (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसने देखा था कि चेपा खेत में गिरा हुआ था और उसका सीधा हाथ टूटा हुआ था।

7 डॉ. रंजीत सिंह परिहार (अ.सा.-7) ने दिनांक 04.04.2014 को जिला चिकित्सालय बैतूल में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत चेपा का परीक्षण किये जाने पर आहत की बांयी अग्रभुजा पर 2 गुणा 2 सेमी. आकार का कंटूजन एवं दांयी अग्रभुजा पर 2 गुणा 2 सेमी. आकार में दर्द एवं सूजन पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए चोट क. 2 के लिए एक्सरे की सलाह दी जाना बताया है। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आहत की एक्सरे प्लेट क. 4470 का परीक्षण किया था जिसमें आहत के दांये हाथ की रेडियस और अलना दोनों हड्डिया टूटी पायी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) एवं एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी चेपा (अ.सा.-1), सुभाष (अ.सा.-3) एवं उज्जैन (अ.सा.-4) के कथनों से फरियादी के द्वारा बताये गये स्थान पर चोट आने की तथ्य की संपुष्टि होती है।

8 मंगलमूर्ति (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 04.04.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 269/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 09.04.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-3) एवं दिनांक 14.04.2014 को अभियुक्त गोसाईं से एक लोहे की रॉड जप्त कर (प्रदर्श पी-7) का जप्ती

पत्रक तथा अभियुक्तगण गोसाई एवं झमोतीबाई को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 के गिरफ्तारी पत्रक बनाना बताया है। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

9 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि** प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। आहत के अतिरिक्त किसी भी साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखी है। मात्र आहत के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। साथ ही किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में साक्षी राजेश (अ.सा.-5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है तथा अपने समक्ष अभियुक्तगण से जप्ती एवं गिरफ्तारी से भी इनकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त से जप्ती एवं गिरफ्तारी से इनकार किया है। अतः इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11 सुभाष (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने खेत पर था। उसे झगड़े की आवाज आयी तो वह फरियादी चेपा के खेत पर गया और उसने देखा कि फरियादी चेपा गिरा हुआ है और उसका सीधा हाथ टूटा हुआ है। उज्जैनसिंह (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि वह फरियादी चेपा का बटायीदार था। घटना के समय चेपा खेत में पड़ा था और उसे हाथ में चोट लगी थी। फिर वह उसे बैतूल अस्पताल लेकर आया था। दुलवंती (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने घर पर थी। पड़ोसी सुभाष (अ.सा.-3) ने फोन पर यह बताया कि झगड़ा हो गया है तो वह घर से खेत पर आयी तो उसका पति खेत पर पड़ा हुआ था तो उसने घर से गाड़ी बुलायी और अपने पति को बैतूल अस्पताल लेकर आयी। साक्षी सुभाष (अ.सा.-3) एवं उज्जैनसिंह (अ.सा.-4) से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अपने समक्ष अभियुक्तगण के द्वारा चेपा की रॉड से मारपीट करने की बात को गलत बताया है। साक्षी दुलवंती (अ.सा.-2) ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे घटना की जानकारी बटायीदार उज्जैनसिंह ने दी थी।

12 सुभाष (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वह घटना के समय खेत पर था इसलिए उसने नहीं देखा कि

किसने किसके साथ मारपीट की थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि जब वह फरियादी चेपा के पास गया था तब मौके पर न तो अभियुक्त झमौती थी न अभियुक्त गोसाई था। उज्जैनसिंह (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह चेपा के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि फरियादी चेपा को खेत पर गिरने से चोट आयी होगी तो वह चेपा को अस्पताल लेकर गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे फरियादी चेपा ने यह नहीं बताया था कि उसके साथ किसने मारपीट की है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त झमौती एक महिला है और कमर झुकने के कारण वह बिना सहारे के चल फिर भी नहीं सकती है।

13 दुलवंती (अ.सा.-2), सुभाष (अ.सा.-3), उज्जैनसिंह (अ.सा.-4) यद्यपि चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा साक्षी सुभाष एवं उज्जैन ने अपने समक्ष अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी चेपा की मारपीट किये जाने से इनकार भी किया है परंतु घटना के तत्काल पश्चात उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा आहत चेपा को घायल अवस्था में एवं उसके हाथ में चोट देखे जाने से अभियोजन का आंशिक समर्थन होता है। अतः बचाव अधिवक्ता का किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने का तर्क उचित प्रतीत न होने से अमान्य किया जाता है।

14 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क भी है कि अभिलेख पर मात्र आहत चेपा देशमुख की साक्ष्य उपलब्ध है। मात्र आहत के कथनों पर अभियोजन की कथा को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

15 तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि धारा 134 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधानित है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल (2003) 1 एस.सी.सी. 465 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह से विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्धी स्थिर की जा सकती है।

16 चेपा देशमुख (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके खेत की है। उसने अपने खेत का बेहड़ा का पेड़ रामचरण को बेचा था। उसी पेड़ की एक डाल अभियुक्त के खेत में चली गयी थी तो अभियुक्त गोसाई की मां झमौती ने कहा कि हमारे खेत में पेड़ गिरा दिया मारो साले को। फिर अभियुक्त गोसाई ने उसे पीछे से रॉड से पीठ पर मारा। जब अभियुक्त उसे रॉड से सिर पर मारने लगा तो उसने अपना सीधा हाथ सामने कर लिया जिससे उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है

कि अभियुक्त झमौती लगभग 75 वर्ष की है। उसकी कमर झुक गयी है और वह लकड़ी के सहारे चलती है। पैरा क. 04 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि **अभियुक्त झमौती ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी।** प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे पीछे से रॉड किसने मारी थी वह देख नहीं पाया था। स्वतः कहा कि अभियुक्त गोसाई ने रॉड मारी थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना के समय अभियुक्त गोसाई और उसके अलावा कोई नहीं था। स्वतः में साक्षी ने कहा कि अभियुक्त गोसाई की मां झमौती खेत में थी, पेड़ के पास बैठी थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि पेड़ गिर जाने के बाद मारपीट की आवाज सुनकर सुभाष आया था और जब सुभाष आया तब मौके पर कोई नहीं था। पैरा क. 07 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे गिरने से चोट आयी थी।

17 घटना दिनांक 04.04.2014 की दिन के 12 बजे की है। घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा बैतूल में घटना के दूसरे दिन दिनांक 05.04.2014 को की गयी है। आहत का मुलाहिजा फार्म जो कि दिनांक 04.04.2014 का ओपीएमएच बैतूल का है जिसमें भी यह लेख किया गया है कि आहत को मारपीट से चोट आने से उपचार हेतु भरती किया जाना लेख है। स्पष्टतः आहत घटना के तुरंत पश्चात बैतूल अस्पताल में ईलाज के लिए भरती हुआ था तथा ईलाज हेतु बैतूल आने का कारण मारपीट से चोट आना मुलाहिजा फार्म से प्रकट हो रहा है। आहत चेपा (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। आहत अभियुक्त गोसाई के द्वारा रॉड से मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। यद्यपि आहत चेपा ने स्वयं अभियुक्त झमौतीबाई के द्वारा मारपीट किये जाने से इनकार किया है एवं अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि अभियुक्त झमौतीबाई खेत में दूर पेड़ के पास बैठी थी और घटना के समय उसके और अभियुक्त गोसाई के अलावा कोई नहीं था। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त झमौतीबाई की मौके पर उपस्थिति भी प्रकट नहीं हो रही है। साथ ही आहत के द्वारा बचाव के इस सुझाव को भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त झमौती अत्यन्त वृद्ध महिला होकर बिना लकड़ी के सहारे के खड़ी होने में भी असमर्थ है। उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त झमौती के द्वारा अभियुक्त गोसाई के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर फरियादी चेपा की मारपीट की जाना प्रकट नहीं होता है परंतु आहत चेपा अभियुक्त गोसाई के द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। आहत की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त गोसाई ने फरियादी चेपा की रॉड से मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

18 अभियुक्त गोसाई के द्वारा एकदम से पीछे से आकर फरियादी चेपा (अ.सा.-1) के साथ रॉड से मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी चेपा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं उसे संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा अभियुक्त झमौती ने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी चेपा को रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त गोसाई ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी चेपा को रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त झमौती को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 325/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं अभियुक्त गोसाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

20 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- अभियुक्त गोसाई के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

21 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी को रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

22 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ रॉड से मारपीट कर उसे घोर उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य

की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

23 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। घटना में अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ रॉड से मारपीट कर उसे घोर उपहति पहुंचायी गयी है। प्रकरण के संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात् तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्त गोसाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

24 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत चेपा पिता बाबूलाल देशमुख निवासी पाटाखेड़ा थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

25 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की रॉड अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

26 अभियुक्त गोसाई को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

